

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत वृद्धाश्रम जमीन बरामदपुर मुहम्मदाबाद गोहना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मऊ श्री इलामारन जी द्वारा वृद्धजनों को ठंड से बचाने के लिए कम्बल, वितरित किए गए-

आज दिनांक 27.11.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मऊ श्री इलामारन जी द्वारा अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की उपस्थिति में थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत वृद्धाश्रम जमीन बरामदपुर मुहम्मदाबाद गोहना में वृद्धजनों को ठंड से बचाने के लिए कम्बल, फल मिष्ठान वितरित कर संवेदना, सेवा और सौहार्द का संदेश दिया गया

कार्यक्रम के दौरान अधिकारीगण द्वारा वृद्धजनों से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनके साथ समय बिताकर उनके जीवन में अपनत्व और सम्मान का भाव जागृत किया। यह पहल समाज में संवेदना, सेवा एवं सौहार्द की भावना को सशक्त करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा कहा गया कि –

इसका उद्देश्य समाज में मानवता, करुणा, संवेदनशीलता एवं आपसी सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करना रहा।

— “पुलिस केवल कानून-व्यवस्था की संरक्षक नहीं, बल्कि समाज की संवेदना और सेवा की प्रतीक भी है।” वृद्धाश्रम के निवासियों द्वारा पुलिस अधिकारीगण के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व अन्य पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

अन्जान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रांड की गयी 85000 /- रु0 कुल धनराशि (पचासी हजार) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक

प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति के द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 85000 (पचासी हजार) रुपये, पीडित रामअवध सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह निवासी उमरपुर थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 85000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह नोडल अधिकारी थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. हेड़ आ0 अरविन्द यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. म0का0 काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय थाना घोसी जनपद मऊ ।

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी कुल 39,236 /- रु0 कुल धनराशि (उन्तालिस हजार दो सौ छत्तीस) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अन्जान व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 39,236 (उन्तालिस हजार दो सौ छत्तीस) रुपये, पीडिता सुषमा निवासी हड़हुआ पोस्ट मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 39,236 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह नोडल अधिकारी थाना घोसी जनपद मऊ ।

2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. हेड़ आ0 अरविन्द यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. म0का0 काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय थाना घोसी जनपद मऊ ।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट टोला पुलिस द्वारा दिनांक 27.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टैण्ड दोहरीघाट के पास से मु0अ0सं0 235/2025 धारा 3(5), 87, 137(2), 351(3), 65(1), 316 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी पंकज प्रजापति पुत्र रामसूरत प्रजापति निवासी हरदौली छावनी थाना दोहरीघाट को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

बाल अपचारी –

1. पंकज प्रजापति पुत्र रामसूरत प्रजापति निवासी हरदौली छावनी थाना दोहरीघाट

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 235/2025 धारा 3(5), 87, 137(2), 351(3), 65(1), 316 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राम लोचन थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

2. का0 मु0 कासिम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।